

26.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। अपीलांट अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया अपीलांट व अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है अपीलांट व अपीलांट अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। अपीलांट व अपीलांट अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण अपील अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(Signature)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

